>

Title: Need to take steps to ensure use of Gujarati language for official purposes in the High Court of Gujarat.

श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान गुजरात हाई कोर्ट में गुजराती भाषा के प्रयोग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि गुजराती भाषा के प्रयोग के प्रस्ताव को गुजरात कैबिनेट द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2011 को सर्वसंम्मति से पारित कर माननीय राज्यपाल महोदय की संस्तुति हेतु प्रेषित किया जा चुका है। माननीय राज्यपाल महोदय ने दिनांक 9 मई, 2011 को उपरोक्त प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की संस्तुति के पूर्व भारत सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेसित कर दिया है।

महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों द्वारा अपने-अपने राज्यों की उच्च न्यायालयों में हिन्दी के अधिकारिक प्रयोग हेतु आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया गया है। इसी प्रकार यदि गुजराती भाषा को गुजरात उच्च न्यायालय में अधिकारिक प्रयोग हेतु आवश्यक संस्तुति प्राप्त हो जाती, तो इससे गुजरात के उच्च न्यायालय की न्यायिक कार्यवाही में अधिक से अधिक लोगों की सक्रिय भागीदारी बढ़ सकेगी, क्योंकि इससे गुजराती भाषा को आम बोलचाल के तौर पर प्रयोग में लाने वाले लाखों लोगों को न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी की समझ हो सकेगी तथा वह अपनी समस्याओं के निस्तारण हेतु अपनी राजकीय, स्थानीय भाषा में अपनी समस्याओं को प्रभावशाली ढंग में न्यायालय में प्रस्तुत कर सकेंगे।

महोदय, दिनांक 3.5.2012 को गुजरात के सभी सांसदों ने माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की। इस मुलाकात में गुजरात के माननीय गृह मंत्री जी ने यह चर्चा भी की थी कि गुजराती मातृभाषा को एक राजकीय भाषा के रूप में दर्जा दिया जाये और सभी कार्यों में गुजरात उच्च न्यायालय के माध्यम से कानूनी कार्यवाही तथा पत्र व्यवहार एवं न्याय संबंधी सभी कार्य गुजराती भाषा में हो, ऐसा निवेदन किया था।

महोदय, गुजरात सरकार ने 23.3.2011 को उच्च न्यायालय में गुजराती भाषा का प्रयोग करने के लिए गुजरात विधान सभा में सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया और भारतीय संविधान के 348वें अनुच्छेद के अंतर्गत सभी पत्र व्यवहार गुजराती में किये जायेंगे। गुजरात के महामहिम राज्यपाल के सचिवालय द्वारा ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : It is not necessary for you to read whatever is there.

...(*Interruptions*)

श्री नारनभाई कछाड़िया : दिनांक 13.5.2011 को यह प्रतिवेदन गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

*(Interruptions) â€¦**

MR. CHAIRMAN: That would not be allowed. The Resolution passed there cannot be allowed to be read here. That cannot be allowed.

(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

*(Interruptions) â€¦ **